Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding inviting suggestions for Paperless & Cashless Parliament.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं कुछ सुझाव और सहमति सदन से चाहता हूं । इस डिजिटल युग में जब अधिकतर संसदीय पत्र, कार्यसूची, समाचार भाग-एक, वाद विवाद और सारांश लोक सभा की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अब समय की मांग है कि ससंदीय पत्रों की मुद्रित प्रतियों के स्थान पर उसके डिजिटल संस्करण का उपयोग किया जाए । आपने मुझे समय दिया तो सबसे पहले मैंने देखा कि करोड़ों रुपये प्रिटिंग पर खर्च हो रहा था । प्रिटिंग कार्ड का करोड़ों रुपये बचाने के लिए हम सभी का सफल प्रयास होना चाहिए । हम पेड़ लगाते हैं, उसको बचाने के लिए कोशिश करें कि कम से कम पेपर का उपयोग करें ।

मैं इस सत्र में नहीं बल्कि अगले सत्र से आपकी सहमति से करना चाहता हूं । जो माननीय सदस्य पूर्णत: डिजिटल उपयोग करना चाहते हैं और जो अभी पूर्णत: डिजिटल उपयोग नहीं करना चाहते हैं इसके लिए मैं एक ऑप्शन फार्म सभी माननीय सदस्यों को दूंगा । मुझे आशा है कि हम सब प्रयास करेंगे कि अधिकतर डिजिटल ऑप्शन को एडॉप्ट करें ताकि हम बेहतरीन तरीके का काम कर पूरे विश्व में भारत की संसद पेपरलेस संसद बन सके, ऐसा सभी को मिल कर प्रयास करने की आवश्यकता है ।

मैं एक दूसरी व्यवस्था के लिए आपकी सहमति चाहता हूं । पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में माननीय सदस्य या जिन पत्रकारों को अनुमति दी हुई है, वही लोग सेंट्रल हॉल में जाते हैं । सरकार ने बहुत दिनों से प्रयास किया है । हमारे सदन के नेता और प्रधान मंत्री जी भी देश भर में लगातार प्रयास कर रहे हैं । पार्लियामेंट से संदेश जाना चाहिए कि कैन्टीन के अंदर कैशलेस और डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था लागू हो, अभी भी ऑप्शन है । मैं पांच साल से संसद में हूं, लेकिन मैंने कभी भी डिजिटल पेमेंट नहीं किया है । मैं चाहता हूं कि इसे हंड्रेड परसेंट लागू करें कि सेंट्रल हॉल के अंदर डिजिटल पेमेंट या कैशलेस प्रणाली को शुरू किया जाए ।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, what you have said regarding digitalisation is a very laudable thing. There is no doubt or question about it. I am just mentioning two or three things. The Supreme Court of India tried to introduce this system in the Supreme Court, making it entirely digital, but ultimately, it failed. There are two or three reasons. The first reason is that the wi-fi is not available and the second one is that you do not know when internet is available and when internet is not available.

When you are in the midst of doing some work, you find that there is no net. The Supreme Court of India had to come back to the old practice of using papers. If you wish to do it in Parliament, then we have to secure availability of wi-fi connection from beginning to end and there should not be any interruption at any point of time. If it is not ensured, then everything fails.

I fully appreciate your views regarding credit card and debit card usage for purchase. One month back I wanted to purchase something. I took the help of my friend and colleague, Ms. Mahua Moitra for that. But ultimately it failed. She asked as to why you should go to the market and that it can be done from here. But it failed because no net facility was available. Of course, your object is very laudable. There is no doubt about it.

The question is whether wi-fi facility would be available round the clock. If it is not available throughout the day, then the object would be frustrated. After all, I need papers and documents. This is one thing.

Second part is this. It is very important. I do not know whether anybody will agree with me or not. When you look into the screen and read, registration in the mind is not the same as reading the contents from the papers. So, these two things are completely different.

Therefore, I request you to introduce uninterrupted wi-fi connection in the Parliament first. Let us do it on an experimental basis for six months. Depending on the experience of those six months, you can take a

decision.

As regards using credit card and debit card, I would like to know whether I can use it in the Central Hall. There is no wi-fi connection there. We have a call drop Ministry and net drop Ministry. I am very sorry to say that. The object is laudable. But the object would get frustrated because of this reason.

माननीय अध्यक्ष: इस पर डिबेट नहीं हो सकती है । माननीय सदस्य ने सारी बात कह दी है । इससे अलग हटकर कोई डिबेट भी नहीं हो सकती ।

अभी अहलुवालिया जी इस विषय पर बोलेंगे, फिर मैं व्यवस्था दूंगा ।

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बर्धमान-दुर्गापुर): माननीय अध्यक्ष जी, यह अच्छी पहल है । मैंने पिछली सरकार में एज़ आईटी मिनिस्टर दो प्रावधान लागू किए थे कि सदन में अंदर भी लाइब्रेरी या पार्लियामेंट से कनैक्टिड सारी चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं । एक वाईफाई अंदर भी काम करता है, सदन के अंदर भी काम करता है । मैम्बर्स को पोर्टल के अनुसार अपना कम्प्यूटर चलाना पड़ता है ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोई कागज लेकर नहीं आता हूं, आईपैड लेकर आता हूं । मैं पेपरलैस कई वर्षों से हो गया हूं । मैं वर्ष 2012 से 2014 तक सचिवालय की लाइब्रेरी का डिजिटाइजेशन और माइक्रो फिल्मिंग का चेयरमैन था । मैंने तब डिजिटाइजेशन का काम शुरू किया था । उसी समय हमने एक आदेश पारित कराया था कि जितने पेपर ले होंगे, डिजिटल आएंगे । कोई भी एनुअल रिपोर्ट प्रिंटिड नहीं आएगी, सारी डिजिटल आएंगी । हम ई-बुक की शेप में प्रिंट कर सकते हैं । इसकी व्यवस्था अभी भी है ।

माननीय सदस्य कल्याण बनर्जी जी की बात सही है कि जब हम ट्रेन में जाते हैं तो हमें वाईफाई नहीं मिलता है । हम बाहर रहते हैं, हर वक्त काम करना होता है, हम नहीं कर सकते हैं, किंतु पार्लियामेंट से संबंधित कोई भी कागज आज भी डाउनलोड करना हो तो यहां कर सकते हैं । इसकी थोड़ी सख्ती बढ़ाने की जरूरत है ।

12.00 hrs

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आपने एक शुरुआत की और मैं इसे एक दिन में लागू भी नहीं करना चाहता हूं । यह 130 करोड़ लोगों का देश है, विदेशों की नकल भारत की संस्कृति पर लागू नहीं कर सकते । हम पार्लियामेंट से घर पर पेपर भेजते हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कि कम से कम उनकी आवश्यकतानुसार डाउनलोड कर सकें क्योंकि कई बार पेपर पहुंचने में लेट हो जाते हैं । घर पर पेपर पहुंचाने में लाखों रुपये डिलीवरीमैन पर खर्च करने पड़ते हैं । आपके घर में पार्लियामेंट ने वाईफाई दिया है, तीन तरीके का वाईफाई दिया है ।

माननीय सदस्य कल्याण बनर्जी ने जो बताया है, वह बात भी सही है और अहलुवालिया जी ने जो बताया, वह भी सही है । दोनों को बराबर रखकर बीच का रास्ता देखना है । हम प्रयास करेंगे कि वाईफाई की कनैक्टिविटी को और बैटर करें । हम प्रयास करें कि किस तरह से कम से कम पेपर का उपयोग करें । हम पेपर का उपयोग करेंगे और पेपर यहां रखेंगे, ऐसा नहीं कि अगले सत्र से पूरी संसद को पेपरलैस कर देंगे, लेकिन जितनी आवश्यकता हो, उतनी पेपर की प्रिंटिंग हो और उतने ही पेपर का उपयोग हो, यह हमारा प्रयास है।

मैं एक दिन में सारी व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए आग्रह नहीं कर रहा हू । अगर सदन की सहमति है तो मैं सदन की सहमति चाहता हूं ।

श्री कल्याण बनर्जी: माननीय अहलुवालिया जी ने जो कहा, ठीक है । यह मेरा इंटरनैट कनैक्शन है, It is not working here. …(*Interruptions*) Therefore, I am talking about the situation in Parliament only. …(*Interruptions*)

माननीय सदस्य: दादा, अन्य सदस्यों को भी बोलने का मौका दीजिए ।

जयदेव गल्ला जी ।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, we definitely welcome your suggestions. Today, seeing the names on the screen is a big improvement, and going paperless is also going to be a big improvement. … (*Interruptions*)

Since, we are talking about technology, I just want to give one suggestion. …(*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Kindly see, Mr. Ram Mohan Naidu's name is being shown on the screen. …(*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA : Yes, it is because I am standing in Mr. Ram Mohan Naidu's seat.

Sir, the suggestion that I want to make is that we have a lot of languages in our country, and we have been talking about moving to three-language formula also. More people should be learning more languages, but in the Parliament, translation is given only in two languages, namely, Hindi and English. Further, what is broadcast to rest of the country is not translated. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: ऑप्शन दे देंगे, उस भाषा में भेज देंगे ।

SHRI JAYADEV GALLA : So, with artificial intelligence and technology, one can translate simultaneously into all the languages and everyone in the country can watch the proceedings in their native language. This is one good suggestion from my side.

माननीय अध्यक्ष: कल जीरो आवर में इस पर चर्चा कराएंगे, अभी बिल पर चर्चा शुरू करनी है ।

…(व्यवधान)

12.02 hrs